न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 67/11 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. कविता पुत्री जगराम जाति जाट

2. अनिता पुत्री जगराम जाति जाट साकिन जसाई तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:---- अपीलांट

बनाम

1 महेन्द्र पुत्र परसादी लाल
2 जयदयाल पुत्र परसादी लाल
3 अमरसिंह पुत्र परसादी लाल जातियान जाटन निवासीयान ग्राम जसाई तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान
4 तहसीलदार मुण्डावर

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर दिनांक 13.6.2011

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री गणपत सिंह नरूका

2. वकील रेस्पो0सं02से3 :– श्री विनोद कुमार यादव

निर्णय दिनांक 20/8/18

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा राजस्व वाद संख्या 17/09 में पारित निर्णीय दिनांक 13.6.2011 के खिलाफ है, जिस निर्णय के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

द्वारा प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने तहत न्यायालय में एक वाद पत्र प्रस्तुत किया । दौराने विचारण वाद पत्र प्रतिवादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादिया ने वाद पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है । क्योंकि वादिया ने स्वयं बिना किसी दबाव के दिनांक 23.1.2001 को मुण्डावर में आकर 100/–रूपये के स्टाम्प पर अपना हक प्रतिवादीगण के पक्ष में त्याग कर तस्दीक करा दिया । उस हक त्याग के आधार पर सर्वसहमति से प्रतिवादीगण के पक्ष में इंतकाल दर्ज हो गया । इस प्रकार जब वादिया ने अपना हक प्रतिवादीगण के पक्ष में त्याग कर चुकी थी तो अब उसे वाद पत्र प्रस्तुत करने का कोई कानूनी हक नहीं है । हक त्याग को सक्षम न्यायालय ने कैंसिल कराकर ही दावा प्रस्तुत कर सकती हैं । वादिया का वाद बाड बाई लॉ होने के कारण खारिज किया जावे । तहत न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादिया का वाद खारिज किया है, जिसकी यह अपील है ।

3 विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि विवादित भूमि पैत्रिक सम्पत्ति है, जिसमें 1/4 हिस्से हमारे पिता का तथा बाकी 3/4 हिस्सा मेरे चाचाओं का था । हमारे पिता का देहान्त हो चुका है । हम विवादित भूमि में 1/4 हिस्से का अधिकार रखती हैं । हमने कोई हक त्याग हमारे चाचाओं के पक्ष में नहीं किया । ना तो हमने कोई स्टाम्प खरीदा, ना ही हमने तहरीर कराया और ना ही हमने तस्दीक कराया । उक्त हक त्याग उप पंजीयक से पंजीकृत नहीं है । ऐसी स्थिति में उसे साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जा सकता । सभी कार्यवाहियां प्रतिवादीगण द्वारा फर्जी तौर पर कर ली गई । हमने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है और प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा भी प्रस्तुत कर दिया गया था । ऐसी स्थिति में प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये था । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे । विद्वान वकील अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

ने अपनी बहस के समर्थन में 2017 आर0 आर0 डी0 (एच0सी0) पेज 270 तथा 273 का हवाला दिया ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 प्रतिवादी का कथन है कि इन्होंने अपने हिस्से का हक त्याग पूर्ण होश हवाश के साथ हमारे पक्ष में किया है । पंचायत में भी इन्होंने हक त्याग के सम्बन्ध में अपनी सहमति दी है । इसके पश्चात ही पंचायत ने हमारे पक्ष में इंतकाल दर्ज किया है । अगर इंतकाल गलत दर्ज हुआ है तो इनको इंतकाल की अपील करनी चाहिये । या फिर अगर हक त्याग फर्जी हुआ है तो इनको सिविल वाद प्रस्तुत करना चाहिये । प्रस्तुत वाद बार्ड बाई लॉ है । इसीलिये विद्वान तहत न्यायालय ने सही तौर पर आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 में खारिज किया है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । ग्राम पंचायत जसई पंचायत समिति मुण्डावर ने प्रमाण पत्र दिया है कि दिनांक 9.4.01 को जो इन्तकाल संख्या 311 तस्दीक किया गया है, वह 100/–रूपये के स्टाम्प पर कविता और अनिता द्वारा लिखे गये हक त्याग को दर्शाते हुये तस्दीक किया गया है, परन्तु वह स्टाम्प ग्राम पंचायत के रेकार्ड में उपलब्ध नहीं है । हक त्याग का स्टाम्प पंचायत के रेकार्ड में उपलब्ध नहीं होना संदेह पैदा करता है, जिस ओर विद्वान तहत न्यायालय ने कतई गौर नहीं किया और अपीलाधीन निर्णय का मुख्य आधार इसी को बना लिया ।यहां यह तथ्य भी गौरतलब है कि अगर विद्वान तहत न्यायालय ने उस स्टाम्प दस्तावेज को अपने निर्णय का आधार बना लिया था तो उसे इस तथ्य की जांच करनी चाहिये थी कि स्टाम्प पंजीकृत है अथवा नहीं । 100 रूपये से अधिक की सम्पत्ति का अगर किसी प्रकार से हस्तांतरण होता है तो स्टाम्प पेपर को पंजीकृत कराया जाना आवश्यक है, अपंजीकृत दस्तावेज को साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जा सकता, जैसा कि विद्वान वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई नजीर 2017 आर0 आर0 डी0 पेज 270 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है । परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने ना तो हक त्याग का स्टाम्प पेपर ही मंगाया और ना ही इस बात की जांच की कि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

उक्त स्टाम्प पेपर पंजीकृत है अथवा नहीं । तहत न्यायालय को कि उक्त स्टाम्प के बारे में गहनता से जांच करनी चाहिये थी । इसके अतिरिक्त इस तथ्य की भी जांच कराई जानी चाहिये थी कि इन्तकाल दर्ज करते समय क्या अनिता व कविता को बुलाकर बयान लिये गये थे अथवा नहीं । इतना ही नहीं, पत्रावली में जब जवाब दावा प्रस्तुत हो चुका था तो तहत न्यायालय को चाहिये था कि तनकी बनाकर तनकीवार निर्णय करते । उन तनकियों में आदेश 7 नियम 11 में उठाई गई आपत्तियों के बारे में भी तनकी बनाई जानी चाहिये थी । अर्थात विधिक एवं तथ्यपरक तनकियात कायम कर उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना चाहिये था, जैसा कि विद्वान वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई नजीर 2017 आर0 आर0 डी0 पेज 273 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि आदेश 7 नियम 11 में प्रारम्भिक स्तर पर वाद खारिज नहीं किया जा सकता तथा आगे अनुसंधान बाधित नहीं है, तथ्य एवं विधि का प्रश्न है । विद्वान तहत न्यायालय ने इन प्रक्रियाओं की अनदेखी की है । लिहाजा उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में एवं विद्वान वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई नजीरों में प्रतिपारित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में हम प्रकरण को रिमांड किया जाना उचित समझते हैं ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय 13.6.2011 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि वो इस निर्णय के पैरा नम्बर 05 का अध्ययन कर वांछित जांच करते हुये विधिक एवं तथ्यपरक तनकियात कायम करें । तत्पश्चात उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर प्रत्येक तनकी का विवेचन करते हुये तनकीवार निर्णय पारित करें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में दिनांक 15.10.2018 को उपस्थित हों ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner